रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-06072026-274168
CG-UP-E-06072026-274168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 487] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 545(अ) — केन्द्रीय सरकार, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 42क की उपधारा (1) तथा (2), धारा 46 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (पक) तथा (पख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (जांच आयोजित करने की रीति, शास्ति अधिरोपण तथा अपील) नियम, 2026 बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त प्रारूप नियमों को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; तथा यह सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप अथवा सुझाव हो, तो वह उपर्युक्त अवधि के भीतर महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ए-13, सेक्टर-24, नोएडा–201301 को अथवा ई-मेल noida-dgll@nic.in पर प्रेषित कर सकता है।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों अथवा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (जांच आयोजित करने की रीति, शास्ति अधिरोपण तथा अपील) नियम, 2026 होगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से समुद्री नौवहन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अपीलकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित हो तथा अधिनियम की धारा 42क की उपधारा (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करता हो;

(घ) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 42क की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रपत्र" से इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः प्रदान किए गए हैं।

अध्याय II

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच का संचालन तथा दण्ड अधिरोपण

3. नोटिस जारी किया जाना.— (1) जहाँ न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत अथवा उपलब्ध प्रतिवेदन या साक्ष्य के आधार पर यह संतुष्ट हो कि अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) या धारा 42 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा जांच किया जाना आवश्यक है, वहाँ वह संबंधित व्यक्ति को प्रपत्र-I में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर यह कारण बताए कि अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन उस पर दण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाए।

(2) नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति तथा अधिनियम के वे सुसंगत प्रावधान, जिनके अंतर्गत उल्लंघन किए जाने का अभिकथन किया गया है, का उल्लेख किया जाएगा।

(3) कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा और उसकी सेवा का प्रमाण अभिलेख पर संधारित किया जाएगा।

4. जांच आयोजित करने की रीति तथा दण्ड अधिरोपण.— (1) जहाँ न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह संतुष्ट नहीं होता कि कार्यवाही समाप्त कर दी जानी चाहिए, वहाँ वह ऐसे कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से अथवा उसके प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुज्ञात अवधि की समाप्ति से, जो भी पहले हो, पन्द्रह दिनों के भीतर जांच प्रारंभ करेगा।

(2) जांच के प्रयोजनार्थ न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रपत्र-II में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति को स्वयं अथवा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो, उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

परन्तु यह कि ऐसा नोटिस सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व तामील किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन जारी जांच नोटिस में—

(क) कथित उल्लंघन तथा अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख होगा;

(ख) जांच की तारीख, समय, स्थान तथा माध्यम का उल्लेख होगा;

(ग) उसके साथ उन सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न होंगी जिन पर भरोसा किया गया है।

(4) नोटिस पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील किया जाएगा तथा ऐसी तामील का प्रमाण अभिलेख पर संधारित किया जाएगा।

(5) जांच के प्रारंभ में न्यायनिर्णायक अधिकारी संबंधित व्यक्ति अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को कथित उल्लंघन की प्रकृति तथा अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के संबंध में अवगत कराएगा।

(6) न्यायनिर्णायक अधिकारी संबंधित व्यक्ति को अपने पक्ष के समर्थन में सुने जाने तथा ऐसे दस्तावेज, साक्ष्य अथवा साक्षियों को प्रस्तुत करने का अवसर देगा जो जांच के लिए सुसंगत हों; तथा वह लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से सुनवाई को भविष्य की किसी तारीख तक स्थगित कर सकेगा।

(7) उपनियम (6) के प्रयोजनार्थ कोई भी स्थगन पन्द्रह दिनों से अधिक का नहीं होगा तथा जांच की अवधि के दौरान अधिकतम तीन स्थगन ही प्रदान किए जाएंगे।

(8) जहाँ संबंधित व्यक्ति नियत तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है, वहाँ न्यायनिर्णायक अधिकारी इसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही कर सकेगा।

(9) न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित रूप में कारणयुक्त आदेश पारित करेगा, जिसमें वह अधिनियम के अधीन उपयुक्त समझे जाने पर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा अथवा यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि कोई उल्लंघन स्थापित नहीं हुआ है।

(10) आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी तथा उसकी तामील का प्रमाण अभिलेख पर संधारित किया जाएगा।

(11) न्यायनिर्णयन कार्यवाही कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी।

5. न्यायनिर्णायक अधिकारी की शक्तियाँ.— (1) अधिनियम के अधीन जांच करने तथा दण्ड अधिरोपित करने के लिए नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी, अर्थात्:—

(क) उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई है, तथा जांच के प्रयोजनार्थ समन किए गए किसी अन्य व्यक्ति से शपथ पर अथवा शपथपत्र द्वारा मौखिक या लिखित साक्ष्य मांगना;

(ख) सुसंगत दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा उनकी प्रतियों का परीक्षण या निरीक्षण करना;

(ग) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(2) उपयुक्त प्राधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन किसी जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक समझी गई सहायता प्रदान करेंगे।

अध्याय III

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दण्ड अधिरोपण के आदेश के विरुद्ध अपील

6. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.— (1) नियम **4** के उपनियम **(9)** के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अधिनियम की धारा **42**क की उपधारा **(2)** के अधीन महानिदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) अपील, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं अथवा उसके विधिवत् लिखित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रपत्र-**III** में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:—

(क) अपीलित आदेश की प्रति;

(ख) तथ्यों का विवरण तथा अपील के आधार; और

(ग) ऐसे अन्य सुसंगत दस्तावेज जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करना चाहता हो।

(3) परीक्षण करने पर यदि अपील विधिवत् पाई जाती है तो उसे ग्रहण किया जाएगा; और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को त्रुटियों की सूचना देगा तथा उन्हें पन्द्रह दिनों के भीतर दूर करने का अवसर प्रदान करेगा; और यदि अपीलकर्ता उक्त अवधि के भीतर त्रुटियों का निराकरण करने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित आदेश द्वारा ऐसी अपील को पंजीकृत करने से इंकार कर सकेगा तथा ऐसे इंकार की सूचना अपीलकर्ता को सात दिनों के भीतर देगा।

(4) अपील ग्रहण किए जाने पर अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों को सुनवाई की सूचना जारी करेगा, जिसमें उन्हें स्वयं अथवा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो, उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, और ऐसी सूचना नियत सुनवाई की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व जारी की जाएगी।

(5) पक्षकार स्वयं अथवा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सुनवाई के माध्यम से उपस्थित हो सकेंगे और अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणयुक्त आदेश द्वारा अपीलित आदेश की पुष्टि, संशोधन अथवा उसे अपास्त कर सकेगा।

(6) आदेश की एक प्रति अपीलकर्ता तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी को तामील की जाएगी और ऐसी तामील का प्रमाण अभिलेख पर संधारित किया जाएगा।

7. **समय का विस्तार.—** न्यायनिर्णायक अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि विलंब अथवा कार्यवाही न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है, इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अवधि का ऐसी अतिरिक्त अवधि तक विस्तार कर सकेगा जिसे वह युक्तियुक्त समझे, परंतु यह नियम 4 के उपनियम (11) के अधीन न्यायनिर्णयन कार्यवाही के पूर्ण किए जाने तथा अधिनियम की धारा 42क की उपधारा (5) के अधीन अपील के निपटान के लिए विहित समय-सीमाओं के अधीन होगा।

8. **आदेश और दण्ड.—** (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश दिनांकित होगा, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसे सभी पक्षकारों को संप्रेषित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन दण्ड के रूप में वसूल की गई सभी राशियाँ भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

[फा. सं. एलएच-11020/89/2025-एस एल (ई 377838)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

प्रपत्र-I

[नियम 3 के उपनियम (1) को देखें]

कारण बताओ नोटिस

संदर्भ सं. : _______ दिनांक : _____

सेवा में,

विषय : नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा ___ के साथ पठित धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस।

जहाँ, उपलब्ध प्रतिवेदन/साक्ष्य (प्रतियां संलग्न) के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आपने दिनांक ____ को ______ स्थान पर समुद्री नौवहन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा _ के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

(2) कथित उल्लंघन का विवरण निम्नानुसार है :—

(क) उल्लंघन की प्रकृति : ______

(ख) अधिनियम का सुसंगत उपबंध : ______

(3) तदनुसार, आपको एतद्द्वारा यह कारण बताने के लिए अपेक्षित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर आपके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए तथा नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा ___ के साथ पठित धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन आप पर दण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाए।

(4) यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री के आधार पर, आपको कोई और संदर्भ दिए बिना, मामले का एकपक्षीय निर्णय कर दिया जाएगा।

संलग्नक : यथोपरि।

(हस्ताक्षर)

नाम : ______

पदनाम : न्यायनिर्णायक अधिकारी

(कार्यालय की मुहर)

प्रपत्र-II

[नियम 4 के उपनियम (2) को देखें]

जांच सूचना

संदर्भ सं. : _______ दिनांक : _____

सेवा में,

………………………………

………………………………

……………………………..

विषय : नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा _ के साथ पठित धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन जांच सूचना।

जहाँ, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा _ के अधीन आपको दिनांक ___ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

(2) और जहाँ, आपके दिनांक ___ के उत्तर पर विचार कर लिया गया है / निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है;

(3) और जहाँ, अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि कार्यवाही समाप्त कर दी जानी चाहिए;

(4) अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस मामले में जांच की जाएगी।

(5) आपको एतद्वारा यह अपेक्षित किया जाता है कि उक्त जांच के प्रयोजनार्थ आप दिनांक ___ को समय ___ बजे, स्थान ___ पर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (बैठक लिंक) के माध्यम से, स्वयं अथवा अपने विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

(6) आप सुनवाई के समय अपने पक्ष के समर्थन में, यदि कोई हो, साक्ष्य एवं साक्षियों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(7) यदि आप नियत तारीख को उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री के आधार पर जांच की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से की जाएगी।

संलग्नक : यथोपरि।

(हस्ताक्षर)

नाम : ______

पदनाम : न्यायनिर्णायक अधिकारी

(कार्यालय की मुहर)

प्रपत्र-III

[नियम 6 के उपनियम (2) को देखें]

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए आवेदन

संदर्भ सं. : _______ दिनांक : _____

सेवा में,

महानिदेशक

अपीलीय प्राधिकारी

विषय : नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 42क की उपधारा (2) के अधीन अपील।

1. अपीलकर्ता का नाम एवं पता : _____________

   पत्राचार हेतु पता (मोबाइल/दूरभाष संख्या तथा ई-मेल सहित)
2. न्यायनिर्णायक अधिकारी का नाम एवं पता : _________
3. उस मामले का विवरण जिसके संबंध में शास्ति अधिरोपित की गई है :____________
4. उस आदेश/आदेशों का विवरण, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, जिसमें आदेश संख्या एवं दिनांक सम्मिलित हैं :__
5. शास्ति की राशि (रुपयों में) : _____________
6. अपील के आधार :_________
7. अपील में मांगी गई राहत :______
8. अपील से संबंधित कोई अन्य सुसंगत जानकारी :_______
9. क्या अपील 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की गई है? (हाँ/नहीं)

   यदि नहीं, तो विलंब के लिए औचित्य/कारण :______

अपीलकर्ता का नाम : _____________

हस्ताक्षर : ________________

स्थान : ______

दिनांक : ______

संलग्नक

1. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति।
2. सुनवाई के समय न्यायनिर्णायक अधिकारी से प्राप्त प्रकरण से संबंधित दस्तावेज।
3. कोई अन्य सुसंगत सामग्री, जिस पर निर्भर किया गया हो।
4. विलंब होने की दशा में उसका औचित्य/स्पष्टीकरण।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

G.S.R. 545(E). — The draft of the Marine Aids to Navigation (Manner of Holding Inquiry, Imposition of Penalty and Appeal) Rules, 2026, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 42A, read with sub-section (1) of section 46 and clauses (pa) and (pb) of sub-section 2 of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), is hereby published, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director General, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, A-13, Sector 24, Noida - 201301, or by email at noida-dgll@nic.in, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

Chapter I

Preliminary

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Marine Aids to Navigation (Manner of Holding Inquiry, Imposition of Penalty and Appeal) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021);
(b) "adjudicating officer" means the officer appointed under sub-section (1) of section 42A of the Act;
(c) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (2) of section 42A of the Act;
(d) "appellate authority" means an officer specified under sub-section (2) of section 42A of the Act;
(e) "form" means a form appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II
Holding of inquiry and imposition of penalty by the adjudicating officer

3. **Issue of notice.** - (1) Where, on the basis of a complaint by any person or report or evidence available, the adjudicating officer is satisfied that a contravention of the provisions of sub-section (1) of section 41 or section 42 of the Act has been committed and that an inquiry is required, he shall issue a show cause notice in Form I to the person concerned, requiring such person to show cause within a period of thirty days from the date of receipt of the notice as to why a penalty should not be imposed under the relevant provisions of the Act.

(2) The notice shall indicate the nature of contravention and the relevant provisions of the Act under which the contravention is alleged.

(3) The show cause notice shall be served by registered post or speed post or by electronic means, and proof of such service shall be maintained on record.

4. **Manner of Holding of Inquiry and Imposing Penalty. –** (1) Where the adjudicating officer, after considering the reply to the show cause, if any, submitted by the person concerned, is not satisfied that the inquiry ought to be dropped, he shall, within fifteen days from the date of receipt of reply to such show cause notice or from the expiry of the period allowed for submission thereof, whichever is earlier, proceed to conduct an inquiry.

(2) For the purpose of inquiry, the adjudicating officer shall issue a notice in Form II requiring the person concerned to appear, either in person or through a duly authorised representative, on the date, time and place or through video conferencing or such other electronic means as may be specified therein.

Provided that such notice shall be served at least fifteen days prior to the date fixed for hearing.

(3) The notice of inquiry issued under sub-rule (2) above shall. —
- (a) specify the alleged contravention and the relevant provisions of the Act;
- (b) indicate the date, time, place and mode of inquiry;
- (c) be accompanied by copies of the relevant documents relied upon.

(4) The notice shall be served by registered post or speed post or by electronic means, and proof of such service shall be maintained on record.

(5) At the commencement of the inquiry, the adjudicating officer shall explain to the person concerned or his authorised representative the nature of the alleged contravention and the relevant provisions of the Act.

(6) The adjudicating officer shall afford the person concerned an opportunity of being heard and to produce such documents, evidence or witnesses, if any, as may be relevant to the inquiry; and may, for reasons to be recorded in writing, adjourn the hearing to a future date.

(7) For the purpose of sub-rule (6), any adjournment shall not exceed fifteen days and no more than three adjournments shall be granted during the course of an inquiry.

(8) Where the person concerned fails to appear on the date fixed, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in his absence after recording the reasons for doing so.

(9) The adjudicating officer shall, after considering the material on record and after giving an opportunity of being heard, pass a reasoned order in writing, either imposing such penalty as he considers appropriate under the Act or concluding that no contravention has been established.

(10) A copy of the order shall be served upon the person concerned free of cost, and proof of such service shall be maintained on record.

(11) The adjudication proceedings shall be completed within a period of three months from the date of issuance of the show cause notice under sub-rule (1).

5. Powers of the adjudicating officer. – (1) Adjudicating officers appointed under the Act to hold an inquiry and impose penalty, shall also have the powers to-

(a) call for oral or written evidence on oath or on affidavit from the person against whom inquiry has been initiated and from any other person who has been summoned for the purpose of inquiry;

(b) peruse or inspect relevant documents, records or copies thereof;

(c) summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case.

(2) The appropriate authorities shall render such assistance as may be required by the adjudicating officer appointed under the Act, for enforcing the attendance of any person in connection with an inquiry under these rules.

Chapter III

Appeal against order of imposition of penalty by adjudicating officer

6. Appeal against the order of adjudicating officer. – (1) A person aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under sub-rule (9) of rule 4 above, may prefer an appeal to the Director General under sub-section (2) of section 42A, within thirty days from the date of receipt of the order.

(2) The appeal shall be filed by the appellant in person or by his representative duly authorized in writing in Form III by registered post or speed post or through electronic means and shall be accompanied by:

(a) copy of the order appealed against;

(b) statement of facts and grounds of appeal; and

(c) such other relevant documents as may be relied upon by the appellant.

(3) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time period, the appellate authority may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days thereof.

(4) On admission of the appeal, the appellate authority shall issue a notice of hearing to the parties, including persons acquainted with the facts and circumstances of the case, to appear either in person or through a duly authorised representative, on the date, time and place or through video conferencing or such other electronic means as may be specified therein at least fifteen days before the scheduled date of hearing.

(5) The parties may appear, either in person or through duly authorised representatives, by such mode of hearing as may be specified by the appellate authority, and the appellate authority shall, after giving the parties an opportunity of being heard, pass a reasoned order confirming, modifying or setting aside the order appealed against.

(6) A copy of the order shall be served upon the appellant, and adjudicating officer, and proof of such service shall be maintained on record.

7. Extension of time.— The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing and upon being satisfied that sufficient cause exists for any delay or failure to act, extend any period specified in these rules for such further period as may be considered reasonable, subject to the time limits prescribed for completion of adjudicating proceedings under sub-rule (11) of rule 4 and for disposal of appeal under sub-section (5) of section 42A of the Act.

8. Order and penalties. — (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

[F. No- LH-11020/89/2025-SL (e 377838)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Form I

[See sub-rule (1) of rule 3]

SHOW CAUSE NOTICE

Ref. No. **Date:**

To

……………………………

……………………………

…………………………..

Sub: Show Cause Notice under section ___ read with sub-section (1) of section 42A of the Marine Aids to Navigation Act, 2021.

Whereas, on the basis of report / evidence available (copies enclosed), it appears that you have committed a contravention of the provisions of section ___ of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021) at __________________ on __________.

(2) The details of the alleged contravention are as follows:

(a) Nature of contravention: __________________

(b) Relevant provision of the Act: __________________

(3) Accordingly, you are hereby required to show cause within **thirty days** from the date of receipt of this notice as to why an inquiry should not be held against you and penalty imposed under section ___ read with sub-section (1) of section 42A of the said Act.

(4) In case no reply is received within the stipulated period, the matter shall be decided ex parte on the basis of the material available on record, without any further reference to you.

Encl: As above

(Signature)

Name: __________

Designation: Adjudicating Officer

Stamp

Form II

[See sub-rule (2) of rule 4]

NOTICE OF INQUIRY

Ref. No. **Date:**

To
……………………………
……………………………
…………………………..

Sub: Notice of Inquiry under section ___ read with sub-section (1) of section 42A of the Marine Aids to Navigation Act, 2021.

Whereas, a Show Cause Notice dated _________ was issued to you under section ___ of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021);

(2) Whereas, your reply dated _________ has been considered / no reply has been received within the stipulated period;

(3) And whereas, the undersigned is not satisfied that the proceedings ought to be dropped;

(4) Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 42A of the said Act, it is hereby informed that an inquiry shall be conducted in the matter.

(5) You are hereby required to appear before the undersigned, either in person or through a duly authorised representative / through video conferencing (meeting link), on _________ at _________ (time) at _________ (place), for the purpose of the said inquiry.

(6) You may produce evidence and witnesses, if any, in support of your case at the time of hearing.

(7) In case of failure to appear on the scheduled date, the inquiry shall be conducted ex parte on the basis of the material available on record.

Encl: As above

(Signature)

Name: __________

Designation: Adjudicating Officer
Stamp

Form III
[See sub-rule (2) of rule 6]

APPLICATION FOR APPEAL TO THE APPELLATE AUTHORITY

Ref. No. **Date:**

To
The Director General
Appellate authority

Subject: Appeal under sub-section (2) of section 42A of Marine Aids to Navigation Act, 2021

1. Name and address of the appellant………………………………………
   (Address for correspondence (including mobile or telephone number and email)

2. Name and address of the Adjudicating Officer………………………….

3. Particulars of the case for which penalty has been

   imposed…………………………………………

4. Particulars of the order(s) including number and date, if any, against which the appeal is preferred..

5. Amount of Penalty (Amount in Rs.)……………………………………

6. Grounds for appeal

7. Relief sought in the appeal …………………………………………..

8. Any other information relevant to the appeal…………………………………

9. Whether appeal filed within 30 days (Yes/No)? If No, justification may be given for delay:

Name of the Appellant………………………………………………..
Signature………………………………………………..

Place……….
Date…….

Enclosures:

1. Copy of the order passed by Adjudicating officer.

2. Case documents as received from Adjudicating officer at the time of hearing.

3. Any other relevant material relied upon.

4. Justification for delay, if any.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.06 15:03:34 +05'30'